

हरियाणा कारागार

बन्दियों के लिये आवश्यक
सूचना पत्रिका



**OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF PRISONS HARYANA**

Prisons Head Quarter
Sector-14, Panchkula

बन्दी सूचना पुस्तिका Chapter-I

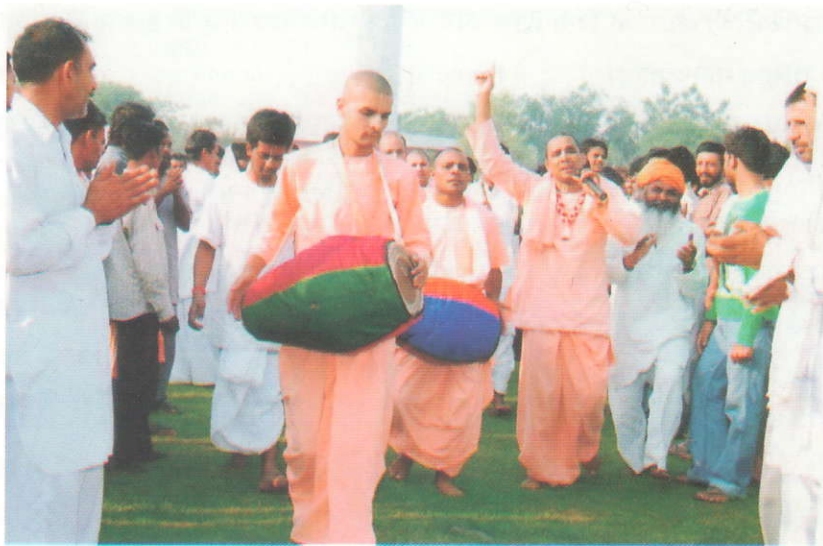
सुधार घर में बन्दियों के सुविधाएं एवम् कर्तव्य:-

1. यह पुस्तिका आपको हरियाणा जेल के कायदे-कानूनों से अवगत कराने के लिए बनाई गई है, ताकि आप यहां बेहतर तरीके से रह सकें। आप के लिए बेहतर होगा कि आप जेल के नियम-कानूनों को भली भाँति जान लें। जब तक आप जेल में हैं यह पुस्तिका अपने पास रखें। रिहाई के वक्त इसे अपने वार्ड इन्चार्ज को लौटा दें।
2. चूंकि समाज में आपको समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर इस संस्था में भेजा गया है। अतः हमारा उद्देश्य आपको एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज में वापिस भेजकर मुख्य धारा से जोड़ने का है। जो भी संस्था चलाई जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं। यदि आप इस संस्था के नियमों की पालना करते हैं तो आपका संस्था में सम्मान भी होगा व जिन परिस्थितियों में आपसे अपराध हुआ है वो एक बीती बात हो चुकी होगी और हमारे प्रयास आपको भविष्य का रास्ता दिखाने में सहयोगी बन सकेंगे, जैसा कि कुछ सुविधायें होती हैं व तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आशा की जाती है कि आप इस सुधार घर में प्रवेश करने उपरान्त इन सुविधाओं और जिम्मेदारियों को भली भाँति समझेंगे और कर्तव्यों का उचित पालन करेंगे व प्रदान की सुविधाओं का समुचित सदुपयोग करेंगे।

Chapter-II हरियाणा कारागार विभाग:-

1. हरियाणा राज्य में कुल 19 जेलें हैं। हरियाणा कारागार विभाग का मुख्यालय सैक्टर-14 पंचकुला में स्थित है, जिसके मुखिया महानिदेशक पुलिस (कारागार) हैं। यहां से पूरे जेल विभाग का प्रशासन का संचालन होता है। हर जेल का प्रमुख जेल अधीक्षक होता है, जिसकी देख-रेख में चिकित्सा अधिकारी, उप-अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल, उप-सहायक अधीक्षक जेल, हैडवार्डर, वार्डर, महिला वार्डर और मैट्रन आदि कार्य करते हैं। प्रत्येक वार्ड में बन्दियों की देख रेख और सुरक्षा के लिए कार्यकारी स्टाफ (वार्डर, हैडवार्डर और सहायक अधीक्षक व उप-सहायक अधीक्षक होते हैं) मौजूद होता है।

2. जेलें एक सुधार घर हैं जहाँ बन्दियों के सुधार व पुनर्वास के भरसक प्रयास किये जाते हैं।



3. जेल नियमानुसार जेल में निषेध वस्तु पूखता वर्जित है व जेल अपराध की श्रेणी में आता है।

Chapter-III

सुधार घरों के सामान्य उपयोगी नियम :-

1. बन्दियों को सुधार घरों में गिनती खोलते समय, प्रार्थना, परेड या कोई अन्य दैनिक कार्य के समय, हमेशा लाईन में खड़ा होना चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे ।
2. दूसरे बंदी के साथ लड़ाई झगड़ा अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।
3. सुधार घर के अधिकारियों व निरीक्षणकर्ता को खड़े होकर सम्मान देना चाहिए ।
4. सुधार घर के अधिकारियों व निरीक्षणकर्ता द्वारा किए गए प्रश्नों उत्तर सच्चाई से देना चाहिए ।
5. किसी प्रकार के जेल अपराध करने में सहयोग नहीं देना चाहिए और इस बारे सूचना तुरन्त जेल अधिकारियों / कर्मचारियों को देनी चाहिए ।
6. सुधार घर में अधिकारियों द्वारा कहने पर अनुशासन स्थापना में सहायता करनी चाहिए ।
7. ऐसा कार्य करना व ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे आपके अन्य साथी बन्दियों को बुरा लगे या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे ।
8. ऐसा कोई अनावश्यक कार्य न करें जिससे अलार्म करना पड़े ।
9. अधिकारियों की आज्ञा के बिना जिस कार्य गैंग से सम्बन्धित है व जिस भाग में परिरुद्ध हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए ।
10. सुधार घर के अधिकारी की आज्ञा के बिना, किसी वार्ड, आंगन, स्थान, लाईन या बर्थ जो आपको दी हुई है को छोड़ना नहीं चाहिए ।
11. खुले हुये आंगनों व वार्डों में असमय व बिना आज्ञा के घूमना नहीं चाहिए ।
12. सुधार घर के निर्धारित भोजन की मात्रा के अनुसार ही भोजन का प्रयोग करें व भोजन जूठा न छोड़े ।
13. भोजन वितरण के नियमों की पालना करनी चाहिए ।
14. जो वस्त्र दिए जाते हैं उनको पहनने से इन्कार नहीं करना चाहिए तथा न ही किसी दूसरे बन्दी से बदलने चाहिए व न ही खोने तथा नष्ट करने चाहिए ।
15. सम्बन्धित वस्त्र के विशेष नम्बर व निशान को मिटाना व बदलना नहीं चाहिए ।
16. सुधार घर के बगीचों व वृक्षों, सब्जियों को नष्ट नहीं करना चाहिए ।
17. किसी अधिकारी की अनुमति के बिना व उसे बताए बिना किसी भी चीज को उद्योगशाला में नहीं बनाना चाहिए ।
18. दूसरे बन्दी के द्वारा अपने किये गये कार्यों के किसी भाग को अपनाना नहीं चाहिए ।

19. दूसरे बन्दी को दिए हुए कार्य के किसी भाग को नहीं करना चाहिए । अपने कार्य के लिए दूसरे बन्दी की सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए ।
20. जान बूझ कर बीमार, चोटग्रस्त या अयोग्य प्रकट नहीं करना चाहिए ।
21. किसी बन्दी या अधिकारी के साथ न तो झगड़ा करना चाहिए और न ही झगड़ा करने में भाग लेना चाहिए ।
22. सुधार घर के किसी भी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी कानूनी आदेश की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए ।

Chapter-IV प्रवेश / दाखिला

1. सभी बन्दियों को सक्षम अदालतों के आदेशों के मुताबिक ही जेलों में रखा जाता है । जेल में आने पर सबसे पहले सहायक अधीक्षक/कर्तव्य अधिकारी मिलेंगे, जोकि आपको इन बातों के बारे में बतायेंगे:-
 - (i) आपको कानून की किस दफा या धारा के अधीन बंद किया गया है
 - (ii) आपके केस का ब्यौरा
 - (iii) आपकी कोर्ट का नाम और
 - (iv) आपके केस की वर्तमान स्थिति/कोर्ट की अगली तारीख
2. जेल में प्रवेश करने पर आपके पास जो भी पैसा है उसके बदले आप सहायक अधीक्षक/कर्तव्य अधिकारी से 500 रुपये मूल्य तक के कूपन प्राप्त कर सकते हैं । यदि आपके पास कोई कीमती सामान है तो आप उसे उप-अधीक्षक के पास जमा करवा दें क्योंकि जेल के अंदर किसी भी तरह का कीमती सामान रखना सख्त मना है ।
3. इसके बाद जेल के डाक्टर आपकी शारीरिक जांच-पड़ताल करेंगे, ताकि यदि प्रवेश के समय आपको कोई बीमारी हो या चोट ग्रस्त हो तो उसका पता चल सके और नियमानुसार ईलाज हो सके । अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपका ईलाज चल रहा है या उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी जेल डाक्टर को जरूर बताएं और यदि ईलाज से सम्बन्धित कोई कागज है तो वो भी जेल डाक्टर को अवश्य दिखायें ताकि आपका उचित ईलाज जरूरत अनुसार जारी रह सके ।



4. अक्सर यह देखने में आया है कि जेल में आने से पूर्व कई बंदियों को अंदरूनी चोंटें लगी होती है। अतः डाक्टरी जॉच के समय अपनी सभी चोटों के बारे में जेल डाक्टर को अवश्य बताएं जिससे आपका सही ईलाज संभव हो सके।
5. प्रवेश के समय आपको एक हिस्ट्री टिकट दिया जाएगा जिसमें आपके केस का ब्यौरा और आपके बारे में अन्य जरूरी जानकारी लिखी होगी इस हिस्ट्री टिकट को सम्भाल कर रखने की जिम्मेदारी आपकी है।
6. सम्बन्धित न्यायलयों में पेशी व केस से सम्बन्धित प्रोसिडिंग वर्तमान में जेल के अंदर ही वीडियो कॉन्फेंसिंग या अदालती पेशी के माध्यम से सम्भव हैं।
7. जब तक आप जेल में हैं, आपकी कोर्ट की सभी तारीखों पर आपको जेल से पुलिस गार्ड द्वारा ले जाया जाएगा। इसके लिए सर्दियों में आपको प्रातः 8.00 बजे व गर्मियों में प्रातः 5.45 बजे तक तैयार रहना होगा। दिन का खाना आप प्रातः खाकर जा सकते हैं या आपने साथ भी लेकर जा सकते हैं।
8. यदि आप अपने परिवारजनों/दोस्तों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताना चाहते हैं? और आपके पास उनके टैलीफोन नम्बर है तो आप अपनी जेल के सहायक अधीक्षक/कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और सहायक अधीक्षक/कल्याण अधिकारी आपके जेल में बंद होने की सूचना आपके परिवारजनों/मित्रगणों को पहुँचा सकते हैं।
9. यदि आप अपने परिवार वालों को पत्र लिखना चाहते हैं तो आपके प्रवेश के समय एक पोस्टकार्ड जेल की तरफ से आपको मुफ्त दिया जायेगा बाद में भी आप महिने में दो बार एक-एक पोस्टकार्ड ले सकते हैं।
10. यदि आपको वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है या आप परेशान/दुखी/चिन्तित हैं और किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो आप अपनी जेल के सहायक अधीक्षक या उप-अधीक्षक से मिल सकते हैं। वह आपकी बात पूरे ध्यान से सुनेंगे और आपकी परेशानियों का हल करने का प्रयास करेंगे। आप द्वारा अधिकारियों को बताई गई बातें गुप्त रखी जाएगी। आप जेल अधीक्षक की सप्ताहिक परेड के समय भी अपनी बात मौखिक या लिखित में रख सकते हैं।
11. इसके अतिरिक्त जेल विभाग के उच्च अधिकारी व न्यायिक अधिकारी भी समय-समय पर जेल का दौरा करते हैं इस दौरान आप उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकते हैं। जिसका वे नियमानुसार यथासम्भव समाधान कर देंगे।



Chapter-V

रहने का स्थान

जेल पर प्रविष्ट होने पर नियमानुसार बैरक/वार्ड में रखा जायेगा:-

1. सुरक्षा की दृष्टि से आपको उसी वार्ड में दूसरी जगह या दूसरे वार्ड में भी रहने के लिए, भेजा जा सकता है। वार्ड से बाहर जाने के लिए आपको ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मचारी से आज्ञा लेना जरूरी है।
2. आप अपने रहने की जगह की साफ सफाई स्वयं करेंगे और वार्ड में गन्दगी नहीं फैलाएंगे।
3. जेल की तरफ से आपको सोने के लिए बिस्तर और जरूरी बर्तन दिए जाएंगे। गर्मियों में, बिस्तरों के रूप में आपको एक दरी और चटाई मिलेगी, सर्दियों में ओढ़ने और बिछाने के लिए तीन कंबल दिए जाते हैं। यदि आप घर से कंबल, चादर या रजाई मंगवाना चाहते हैं तो जेल के अधिकारियों से आज्ञा लेकर मंगवा सकते हैं।
4. प्रवेश पर आपको, अपनी साफ-सफाई के लिए जरूरी चीजें भी दी जाएंगी। आप रोजमरा जरूरत में आने वाली बस्तुएँ जेल में चलाई जाने वाली बन्दी कल्याण कैन्टीन से भी खरीद सकते हैं।
5. जेल में, धर्म, जाति और आर्थिक आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।
6. अपने धार्मिक विश्वास के लिए कोई भी पूजा पाठ का काम करने के लिए इकट्ठा होने की जेल में इजाजत नहीं है। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो अपने वार्ड में शांतिपूर्वक कर सकते हैं।



7. महिलायें अपने साथ छः वर्ष तक का बच्चा भी रख सकती है महिलाओ के साथ रहने वाले बच्चों की पढाई व देखभाल के लिए महिला जेल में एक बाल घर (क्रैच) भी चलाया जाता है ।



Chapter-VI

भोजन

1. जेल में सभी प्रकार के बंदियों हेतु भोजन का पैमाना आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
2. सुबह व दोपहर के समय एक-एक कप चाय दी जाती है। सुबह नाश्ते में 100 ग्राम ब्रेड और 250 ग्राम दूध प्रत्येक बन्दी को दिया जाता है।
3. प्रातः और सांय के भोजन में पांच रोटी (350 ग्राम आटे की) व प्रातः रोजाना बदलवां दाल (70 ग्राम) और सांय को मौसम के अनुसार बदलवां सब्जी (230 ग्राम) दी जाती है।
4. सप्ताह में प्रत्येक रविवार को मीठी खीर भी दी जाती है।
5. राष्ट्रीय पर्वों पर और बड़े त्योहारों पर मिठाई व विशेष भोजन भी दिया जाता है।
6. डाक्टरों के निर्देश पर बीमार बन्दियों को विशेष भोजन दिया जाता है।
7. महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को नार्मस अनुसार अलग से बिस्कुट, दूध, चावल व फल इत्यादि दिये जाते हैं।

Chapter-VII

कपड़ा/पहनने के वस्त्र

1. यदि आप हवालाती है, तो आपको चार जोड़ी कपड़े और अंग-वस्त्र तौलिया, बैड सीट आदि अपने साथ रखने की ईजाजत है। जीन्स, ऊंचे स्पोर्ट्स के जूते और मोटे सोल वाले स्लीपर या सैंडिल पहनना मना है। महिलाओं को ऊंची ऐड़ी के सैंडिल पहनना मना है।
2. सजायाफ्ता कैदियों को जेल द्वारा दी गई यूनीफार्म पहनना जरूरी है। सर्दियों में उन्हें ऊनी कपड़े भी दिये जाते हैं।
3. कैदी बन्दियों को आवश्यकता अनुसार छः माह में जेल मैनेजल अनुसार कुर्ता पजामा देने का प्रावधान है।
4. सभी जेलों में बन्दियों द्वारा जेल उद्योगशाला पर ही सिलाई की दुकाने चलाई जाती है और यदि आप वस्त्र सिलवाना चाहें तो बाहर से कपड़ा मंगवा सकते हैं या बंदी कल्याण कैंन्टीन से खरीद सकते हैं।

Chapter-VIII स्वास्थ्य सुविधाएं

1. प्रत्येक जेल में कैदी बन्दियों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु सरकार की ओर से जेल में चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. हृदय, कान, नाक, गला, चर्मरोग, दांत, आंख, छाती, व मानसिक रूप से बीमार बन्दियों के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक भी जेल में बन्दियों को देखने हेतु आते रहते हैं।



3. विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जेलों में मैडिकल कैम्प भी लगाये जाते हैं।
4. चिकित्सा अधिकारी बन्दी की बीमारी के मदेनजर जेल के बाहर सामान्य हस्पताल में भी ईलाज के लिए रैफर कर सकता है। अगर जेल के डॉक्टर ऐसा महसूस करते हैं कि किसी बन्दी को विशेष ईलाज की आवश्यकता है तो उसे पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक, पीजी.आई. चण्डीगढ़ व ए.आई.आई.एम.एस. दिल्ली भी रैफर किया जाता है और नियमानुसार समुचित ईलाज की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

5. बन्दियों को दवाईयाँ और ईलाज मुफ्त मुहैया करवाया जाता है । यदि कोई बन्दी अपने खर्च पर अच्छा ईलाज प्राप्त करना चाहे तो अधीक्षक जेल की आज्ञा से जेल के चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर प्राप्त कर सकता है। लेकिन सुरक्षा कारणों से अधीक्षक जेल किसी भी बन्दी को प्राईवेट ईलाज की ईजाजत देने से मना कर सकता है।
6. जेलों में नशा-मुक्ति-अभियान भी चलाये जाते हैं। यदि आप किसी नशीले पदार्थ के आदि हैं तो जेल में प्रवेश के समय उसे डाक्टर को जरूर बताएं ताकि आपका ईलाज ठीक से हो सके ।

Chapter-IX

मुलाकात

1. विचाराधीन बन्दी सप्ताह में दो बार और कैदी बन्दी सप्ताह में एक बार अपने परिजनों/रिस्तेदारों के साथ जेल नियमानुसार मुलाकात कर सकते हैं। नये सजा हुए बन्दी को अपनी अपील आदि करने हेतु अधीक्षक जेल एक या दो अतिरिक्त मुलाकात करने की आज्ञा दे सकता है। मुलाकात का समय प्रातः 09.00 से 1/2 बजे तक का है। मुलाकातियों को मुलाकात कक्ष तक मोबाईल, कैश या अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।
 2. जेल में प्रवेश के समय अपने नजदीकी रिस्तेदारों/दोस्तों के नाम जिनसे वे मुलाकात करना चाहे देने होंगे ताकि भविष्य में वे उनसे मुलाकात कर सकें।
 3. मुलाकात बन्दी के नाम के पहले अक्षर **English (Alphabet)** के अनुसार करवाई जाती है। अलग-अलग राशियों के लिए अलग-अलग दिन तय है, जो निम्न प्रकार से होगा और जिनकी सूचि के नोटिस-बोर्ड पर लगी होती है। विशेष परिस्थितियों में जेल नियमावली अनुसार अधीक्षक जेल की लिखित आज्ञा से मुलाकात करवाई जा सकती है।
 - (i) जिन बन्दियों के नाम **A** से **J** व **V** से शुरू होता है वे सोमवार व वीरवार
 - (ii) जिन बन्दियों के नाम **K** से **R** तक शुरू होता है वे मंगलवार व शुक्रवार
 - (iii) जिन बन्दियों के नाम **S** से **Z** (**V** को छोड़कर) से शुरू होता है वे बुधवार व शनिवार।
- नोट:- विशेष पर्व ; जैसे होली, दीवाली, दशहरा, रक्षा बन्धन, ईद व गुरु नानक देव जयन्ती व गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, क्रिसमिस से एक दिन पूर्व सभी राशि के बन्दियों की मुलाकात करवाई जायेगी।

4. मुलाकात, रविवार और जेल अवकाश वाले दिन नहीं करवाई जाती। जेल अवकाश की सूचि पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 671 के अनुसार निम्नलिखित है:-

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| (i) सभी रविवार | (vii) होली | (xii) गणतन्त्र दिवस |
| (ii) क्रसमिस दिवस | (viii) दीवाली | (xiii) हरियाणा दिवस |
| (iii) गुड फ्राईडे | (ix) स्वतन्त्रता दिवस | (xiv) हरियाली तीज |
| (iv) बैशाखी | (x) महात्मा गांधी जयन्ती | (xv) ईद आदि । |
| (v) दशहरा | (xi) गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती | |
| (vi) गुरुनानक देव जयन्ती | | |

5. मुलाकात के दौरान मुलाकाती की नाम, लिखवाते वक्त अपने राशन कार्ड, वोटर कार्ड, या ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मुलाकात लिखाई के लिए प्रातः 8 से 11 बजे तक का समय होता है।

6. मुलाकात के वक्त आपको शांति और संयम रखना होगा सभी मुलाकातें जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की मौजूदगी में होती है। मुलाकात का समय 20 मिनट का होता है। विशेष कारणों से जेल अधीक्षक की आज्ञा से इसे 10 मिनट और बढ़ाया जा सकता है।

7. मुलाकात के समय प्राप्त होने वाला सामान केवल **Eco friendly** थैले में होना जरूरी है। धातु/कांच, और प्लास्टिक की थैलियों को जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है।

8. मुलाकात के समय दिए जाने वाले सामान की जेल नियमावली अनुसार दो बार तलाशी होती है। पहली बार आप द्वारा देने से पहले और दोबारा डायोडी से अंदर जाने से पहले। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूचि **Chapter-X** में दी गई है।

9. मुलाकात पर आप 500/- रुपये तक के कूपन भी ले सकते हैं। इन कूपनों के पीछे अपना नाम जरूर लिखवा कर लें।

10. यदि आपके घरवाले/मित्र आपको 500/- रुपये से ज्यादा देना चाहते हैं तो बाकी पैसे को आप अपने नाम से पी.पी. खाते में जमा करवा दें। जमा किए पैसे के बदले में रसीद जरूर लें। जरूरत पड़ने पर इन पैसे के एक बार में 500/- रुपये तक के कूपन ले सकते हैं। यदि आप उससे ज्यादा रकम निकलवाना चाहें तो इसके लिए आपको जेल के अधीक्षक से इजाजत लेनी होगी।

11. महिला बंदी, अपने पति/पुत्र/भाई (यदि वे भी जेल में हैं) से दूसरे शनिवार/सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, हर शनिवार मिल सकती है।

12. अपने वकील से भी बन्दी रविवार व जेल अवकाश को छोड़कर रोज सांय 03.30 बजे से 5.00 बजे तक, अधीक्षक जेल की इजाजत से मिल सकते हैं । इसके लिए वकील को बन्दी दिया हुआ वकालतनामा मुलाकात के समय प्रार्थना-पत्र के साथ लगाना होगा ।
13. इसके अलावा निर्धन बन्दियों को 'हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' द्वारा पैनल पर रखे गये वकील भी समय-समय पर जेल में स्थित लिगल ऐडविलनिक पर मिलने आते हैं जहां बन्दी अपने केस की पैरवी से सम्बन्धित सलाह ले सकते हैं ।

Chapter-X

प्रतिबंधित वस्तुएं

1. नशे के सभी पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग, चरस, स्मैक इत्यादि, किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री, कोई रसायन या जहरीला पदार्थ ।
2. किसी भी प्रकार का हथियार, गोली-बारुद, चाकू काटने का कोई ऐसा औजार जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके ।
3. किसी भी तरह की धातु , गहना, करन्सी नोट या अन्य कोई कीमती सामान जेल के अन्दर लाना मना है ।
4. कोई भी किताब, छपे हुए दस्तावेज व सामान, छपाई या लिखाई का कोई भी सामान । मुलाकाती यदि आपको कोई पुस्तक या लेखन की समाग्री देना चाहते हैं तो उसके लिए जेल अधिकारी की पूर्वानुमाति अनिवार्य हैं ।
5. रस्सी, धागा, चैन या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे रस्सी, धागे या चेन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके ।
6. किसी भी प्रकार की लकड़ी, बांस, डंडा, सीढ़ी, ईट, पत्थर आदि ।
7. मोबाईल फोन, सिम कार्ड, वायरलेस या दूर-संचार का कोई भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण ।
8. ताश या जुआ खेलने के काम आने वाला किसी भी तरह का सामान ।
9. टेप रिकार्डर, टाइप राईटर, मोबाईल फोन या इस तरह का गलत इस्तेमाल हो सकने वाला कोई भी उपकरण ।
10. तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या इसी तरह की बाकी चीजें ।
11. स्पोर्ट्स के जूते, जोकि टखने तक हो और उनमें अन्दर स्पन्ज लगा हो, क्योंकि इस तरह के जूतों में कुछ भी छुपाना आसान होता है ।
12. किसी भी तरह का डेनिम, कॉटरॉइज या ऐसा मोटा भारी कपड़ा ।
13. ऐसा कोई भी सामान जो जेल में न दिया जा सके या जिसके लिए अधीक्षक जेल ने मना किया हो ।
14. मांसाहारी भोजन ।
15. जेल अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित घोषित कोई सामान ।

Chapter-XI

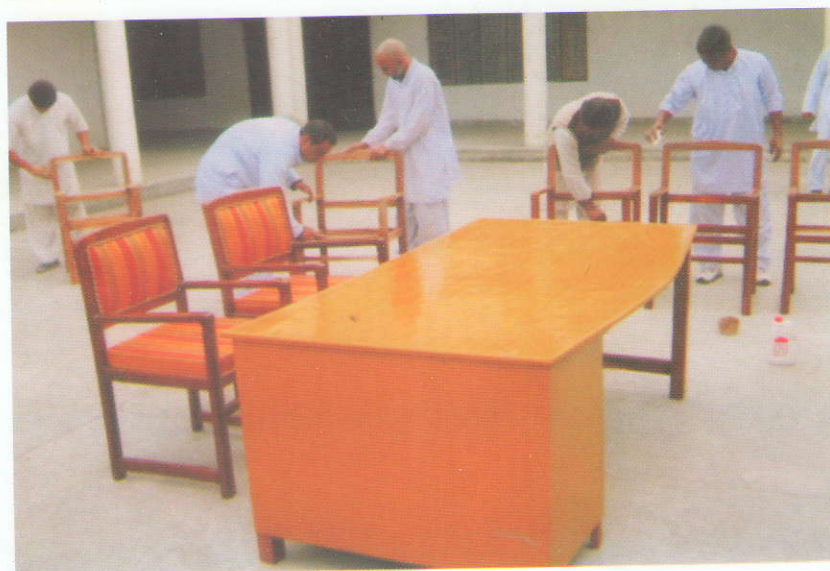
शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ

1. प्रत्येक जेल में 'पढ़ो और पढ़ाओ' कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि निरक्षर को साक्षर बनाया जा सके। यह प्रोग्राम 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' / अन्य N.G.O. के सहयोग से चलाये जाते हैं।



2. हरियाणा की कई जेलों में 'इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय' और 'नेशनल खुला स्कूल' के केन्द्र चलाए जाते हैं। कुछ जेलों में नेशनल खुला स्कूल के **Vocational training Centre** भी खोले गये हैं। बन्दी इनमें दाखिला लेकर अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं।
3. इन केन्द्रों में दाखिले के साथ सभी बन्दी जो पढ़ने के इच्छुक हो को किताबें, कापियों कलम और शिक्षा सम्बन्धी सामग्री आदि निशुल्क दी जाती है।
4. हर जेल में एक लाइब्रेरी भी है जहां से पाठ्य पुस्तकें और बाकी किताबें ली जा सकती हैं।
5. हर जेल में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जहां अनपढ़ / निरक्षर व्यक्ति शिक्षा ले सकते हैं।
6. जेल प्रशासन का यह प्रयास रहता है कि जेल में आने वाला प्रत्येक बन्दी एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना नाम लिखना अवश्य सीख जाए।

7. जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी सुविधा है। इन प्रशिक्षणों में बढ़ई गिरि, सिलाई, बुनाई, फिनाईल, साबुन, वेलडिंग, निवार, कपड़ा बनाना, दरी व कम्बल बनाना, गमले बनाना, पुष्प खेती, बागवानी, बिजली के सामान की मरम्मत, डीजल ईजंन मरम्मत, चित्र कारी, मोमबती, आचार, पापड़ इत्यादि बनाना, ब्यूटी कल्चर, बालवाड़ी ट्रेनिंग व अनेक दूसरे व्यवसाय शामिल हैं।



Chapter-XII

मनोरंजन के साधन

1. जेलों में इन्डोर (भीतरी) और आउटडोर (मैदानी) खेलों जैसे, कबड्डी, बॉलीबाल, बास्केट बाल, बैडमिंटन, कैरम शतरंज, लूडो आदि खेलने की सुविधा है ।
2. हर जेल की प्रत्येक बैरक में मनोरंजन के लिए टी.वी. भी लगे हुए हैं । टी.वी. पर केवल दूरदर्शन चैनल ही दिखाये जाते हैं और रात्रि 10.00 बजे के बाद टी.वी. चलाने की इजाजत नहीं है ।
3. समय-समय पर जेलों में प्रश्नोत्तर और खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।
4. इसी प्रकार अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जेलों में आयोजित किए जाते हैं जिनमें अलग-अलग जगहों से अच्छे कलाकार भी बुलाये जाते हैं जिनके द्वारा जेलों में अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि बन्दियों का तनाव कम हो ।





5. प्रत्येक जेल में संगीत कक्ष बनाये गये हैं। जिसमें बन्दियों को संगीत और वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बन्दियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता मिलती है।

Chapter-XIII

जेल कार्यशाला

1. हरियाणा की सभी बड़ी जेलों में उद्योगशाला बनाई गई है जहां बामशक्कत सजा पाने वाले कैदी काम कर सकते हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि बन्दियों को जेल में रहते हुये कई प्रकार के ट्रेडों में निपुणता हासिल कर लें और जेल से छूटने के बाद अपना कोई रोजगार अपना सकें और एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें।



2. जेलों की उद्योगशालाओं में जेलों की जरूरत के अनुसार सामान बनाने के उपकरण लगे हुए हैं। बिजली से चलने वाले करघा, आरा मशीने, वुडन प्लेनर, हथकरघा प्रिंटिंग प्रैस, दरी और कम्बल के हथकरघा और कपड़ा और निवार बुनने वाली मशीनें भी लगाई गई हैं।
3. यहाँ पर बन्दियों को अनेक प्रकार के व्यवसाय जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई, बुनाई, रसायन बनाना, जिल्दसाजी, स्क्रीन प्रिंटिंग, कपड़ा, निवार, गमले, साबुन, फिनायल, दरी, कम्बल आदि बनाने व टी.वी. रेडियो व बिजली के सामान की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. बन्दियों की उनकी मुश्किल रुचि / झुकाव और पूर्व प्रशिक्षण और कार्य के अनुभव के आधार पर लगाई जाती है।
5. कार्यशाला व अन्य जगहों में काम करने वाले बन्दियों को हरियाणा सरकार द्वारा तय निम्नलिखित दरों के आधार पर मेहनताना भी दिया जाता है:-

(1)	कुशल कारीगर	— 40 रु. प्रतिदिन
(2)	अर्ध-कुशल कारीगर	— 25 रु. प्रतिदिन
(3)	अकुशल कारीगर	— 20 रु. प्रतिदिन

उपरोक्त राशि को बन्दियों के व्यक्तिगत खातों में सीधे तौर पर जमा करवाई जाती है। उक्त उद्देश्य हेतु सजायापता बन्दियों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाये जाते हैं।

Chapter-XIV

योग और ध्यान

स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जेलों में योग और ध्यान के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इनमें विपांसना, आर्ट ऑफ लिविंग, सहज योग, ब्रह्मकुमारी ध्यान विद्या, योगासन, इत्यादि शामिल हैं। यह कार्यक्रम भिन्न-भिन्न संस्थाओं के कुशल प्रशिक्षकों की देख रेख में होते हैं और इनसे बंदियों को सहज रहने में सहायता मिलती है।



Chapter-XV

शिकायत सुनवाई

1. सभी जेलों के प्रत्येक वार्ड में सीलबंद बक्से लगे हुए हैं जिनमें बन्दी अपनी कोई भी शिकायत/सुझाव याचिका डाल सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने मासिक दौरे के दौरान सम्बन्धित बक्सों को खोलते हैं। और बक्सों से प्राप्त याचिकाओं पर उचित कार्यवाही की जाती है। इन बक्सों की चाबियाँ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की अभिरक्षा में होती हैं।
2. बन्दियों को अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए किसी भी तरह की याचिका या सुझाव को इन बक्सों में डालने की छूट है।
3. सभी शिकायतों/सुझावों पर महानिदेशक/अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय व जेल के अन्य उच्च अधिकारी पूर्ण ध्यान देते हैं और उन्हें सुलझाने का यथासम्भव प्रयास करते हैं। अपनी शिकायतें बताने के इन माध्यमों के अलावा बन्दी अपनी जेल के उच्च अधिकारियों न्यायिक अधिकारियों और अधीक्षक जेल को उसकी साप्ताहिक परेड़ के दौरान भी अपनी याचिका दे सकते हैं। वे बन्दियों की बात ध्यान से सुनेंगे और उन्हें सुलझाने का यथासम्भव प्रयास करेंगे।

Chapter-XVI

मुफ्त कानूनी सहायता:-

1. कानूनी सहायता के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत वकील नियमित रूप से प्रत्येक जेल में आते हैं जिनके नामों की सूची जेल सुपरिटेन्डेण्ट के पास उपलब्ध होती है। इन वकीलों से बन्दी कानूनी परामर्श व अपने केस से सम्बन्धित अर्जी/अपील लिखवाने में निःशुल्क रूप से सहायता ले सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है यदि इनके द्वारा नियुक्त कोई वकील किसी प्रकार की फीस की मांग करें या आपके मुकदमे से सम्बन्धित अर्जी लिखने में आनाकानी करें या बदसलूकी करें तो उसकी सूचना आप जेल अधीक्षक को दे सकते हैं जो इन सूचनाओं बारे सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करेंगे।

3. कुछ सामाजिक संस्थाएं भी विधिक सेवा के लिए कार्यरत हैं जिसकी जानकारी बन्दी अपनी जेल के अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं।
4. जेल अधिकारी भी अर्जी या अपील लिखवाने में बन्दियों की हर सम्भव मदद करने के लिए मौजूद हैं।

Chapter-XVII

I अधिकतम अवधि जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (25 of 2005) की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया। अधिसूचना सं. एस.ओ.923 (ई), दिनांक 21.06.2006 द्वारा दिनांक 23.06.2006 से प्रभावी।

436 क. — जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये उस विधि के अधीन मृत्यु-दण्ड एक दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहाँ वह प्रति भूतिओं सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जायेगा।

परन्तु न्यायालय, जन अभियोजक की सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिये निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या व्यक्तिगत बन्धपत्र के बजाय प्रति भूतिओं सहित या रहित जमानत पर उसे छोड़ देगा।

स्पष्टीकरण—जमानत मंजूर करने के लिये इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किये गये बिलम्ब के कारण भोगी गयी निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (5 of 2009) की धारा 31 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया। दिनांक 31.12.2009 से प्रभावी।

437 क — अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष अपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत—

(1) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाईल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति सहित जमानतपत्र निष्पादित करे और ऐसे बन्धपत्र छः मास तक प्रभावी रहेंगे।

(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंधपत्र समपहत हो जाएगा और धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।

II जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां

439. (1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है।

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दण्डनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाए देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना वाध्य नहीं है।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

Chapter-XVIII

पैरोल/फरलो के नियम:-

पैरोल:- हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 व संशोधित अधिनियम, 2012 तथा हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थाई रिहाई) नियम 2007 के अन्तर्गत सामान्यतः निम्न कारणों से पैरोल प्रदान की जाती है:- (i) परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या बहुत गंभीर बीमार होने या बन्दी के स्वयं के गम्भीर बीमार होने पर (ii) कैदी के बहन, भाई, पुत्र, पुत्री और भान्जा या भान्जी के विवाह के अवसर पर या मकान बनाने या मरम्मत करने हेतु या बच्चों के स्कूल/कालेज में दाखिले हेतु आदि, (iii) खेती बाड़ी संभालने के लिए, निर्धारित शर्तों पर क्रमशः (i) तीन सप्ताह, (ii) चार सप्ताह या (iii) छः सप्ताह के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले बन्दी को अस्थाई रूप से पैरोल पर रिहा किया जाता है। पैरोल केवल उन्ही बन्दियों को दी जा सकती है जिसकी कम से कम चार वर्ष की सजा हुई है और जिसने कम से कम एक वर्ष की सजा व्यतीत कर ली है व प्रथम वार्षिक सदाचार छूट का हक प्राप्त कर लिया है। उन कैदियों को कोई पैरोल प्रदान नहीं की जाएगी जो डकैती, लूट, ब्लातकार के बाद हत्या, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ ब्लातकार, श्रृंखला बद्ध हत्या, सुपारी लेकर हत्या, फिरोती के लिए अपहरण या हत्या या गम्भीर रूप से घायल करने, देशद्रोही या राज द्रोही और छोटे बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलने हेतु खरीद फरोखत आदि के मामलों में सजा हुये हैं। इसके साथ-साथ पांच वर्ष के समय के दौरान दो या दो से अधिक बार सजा होने पर, भारतीय दण्ड संहिता के Chapter-XII या XVII के अन्तर्गत कोई एक या एक से अधिक अपराध किये जाने पर (इसमें पांच वर्ष की अवधि की गिनती बाद वाले अपराध की सजा की तिथि से गिनी जायेगी) के साथ-साथ फांसी की सजा पाये बन्दी या जेल में कोई मोबाईल फोन या सिम रखने या प्रयोग करते हुये पाये जाने पर या इस पैरोल अधिनियम के अन्तर्गत पैरोल पर गये बन्दी द्वारा पैरोल अवधि के दस दिन बाद तक समर्पण न करने पर कोई पैरोल नहीं दी जायेगी और यदि किसी कैदी पर कोई भी विचाराधीन मामला लम्बित है और उसमें जमानत पर नहीं है तब भी पैरोल प्रदान नहीं की जाएगी।

पैरोल रिहाई की अवधि कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिनी जाएगी।

(ड) फर्लो:- हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम 1988 व संशोधित अधिनियम 2007 व 2012 के अन्तर्गत राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट के साथ परामर्श करके और निर्धारित की जाने वाली शर्तों तथा तरीकों के अधीन रहते हुए किसी बन्दी को फर्लो पर सामान्यतः

अस्थाई रूप से रिहा कर सकता है, जिसे चार वर्ष से कम की कैद की सजा नहीं मिली और जिसने:-

1. अपनी अस्थाई रिहाई की तारीख के तुरन्त पहले माफियों को छोड़ कर तीन वर्ष की नियमित अवधि तक की सजा व्यतीत कर ली है तथा इस अवधि में कोई जेल अपराध नहीं किया है और कम से कम तीन वार्षिक सदाचार रिपोर्ट का हक प्राप्त किया है ।
2. फर्लों उन कैन्दियों को नहीं दी जाएगी जो लूटने या डाका डालने या कोई ऐसा अपराध करने का सिद्ध दोषी है, व राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा फर्लों प्राप्त करने के अयोग्य घोषित दिया गया हो ।
3. फर्लों की अवधि उसकी रिहाई के पहले वर्ष में तीन सप्ताह और उसके पश्चात प्रत्येक आने वाले वर्ष में दो सप्ताह होगी ।
4. रिहाई की अवधि कैदी की सजा की कुल अवधि में गिनी जाएगी ।

Chapter-XIX

माफी

1. जेल में अच्छा व्यवहार रखने वाले हरेक सजायाफता कैदी को उसकी सजा अनुसार जेल नियमावली अनुसार माफी दी जाती है ।
2. अच्छे काम करने पर कैदी को हर महीने 2 दिन की माफी मिलती है । अच्छा व्यवहार रखने पर भी महीने में 2 दिन की माफी मिलती हैं ।
3. यदि बन्दियों का व्यवहार हर समय अच्छा रहता है तो इस आधार पर विशेष माफी भी दी जा सकती है ।
4. जेल अधीक्षक आपको साल में 30 दिन तक की विशेष माफी, और महानिरीक्षक/महानिदेशक साल में 60 दिन तक की माफी निम्न विशेष कारणों से दे सकते हैं:-
 - क. जो बन्दी जेल के अनुशासन व कानून को तोड़ने वाले बन्दियों को ढूँढ़ने में व रोकने में सहायता देता है, उसे अधीक्षक जेल द्वारा विशेष छूट मिल सकती है ।
 - ख. जो बन्दी लघु उद्योगों के प्रशिक्षण व उत्पादन में सहायक सिद्ध हो ।
 - ग. बन्दी को जो कार्य दिया गया हो उस कार्य में निपुण होने पर ।
 - घ. अधिकारी पर किसी बन्दी या बन्दियों द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में बचाव में सहायता करने पर ।

इ आपात स्थिति में जैसा की आग आदि लगने पर सहायता प्रदान करने पर।

ढ कपड़े सावधानी से पहनने तथा उन्हें ज्यादा देर तक चलाने पर।

5. इन माफियों के अलावा, यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो हरियाणा सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय पर्वों पर कैदियों को माफी प्रदान की जा सकती है।
6. इन सभी माफियों (सरकार द्वारा प्रदान माफी का छोड़कर) का योग एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा तीन महीने तक हो सकता है। कुछ खास परिस्थितियों में माफी, जेल महानिदेशक की स्वीकृति से, साल में चार महीने तक बढ़ाई जा सकती है। यानि बन्दी जेल में रहते हुये अपने आचरण व मेहनत के साथ किये गये अच्छे कार्य व अच्छे व्यवहार से अपनी सजा के एक चौथाई भाग तक की माफी प्राप्त कर सकता है।
7. यदि आपको आजीवन कारावास की सजा मिली है तो आपका केस सरकार द्वारा समय-समय पर समयपूर्व रिहाई हेतु जारी की गई हिदायतों के अन्तर्गत आप द्वारा किये गये अपराध, आप द्वारा व्यतीत की गई अवधि, आप द्वारा अकिंत की गई माफियां और जेल में सजा व्यतीत करने के दौरान जेल में आपके आचरण के आधार पर राज्य स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा आपको विशेष शर्तों के अधीन समय पूर्व रिहा किया जा सकता है।

Chapter-XX

रिहाई

1. बन्दी की सजा पूरी होने पर या कोर्ट से रिहाई के आदेश आने पर ही बन्दी को जेल से रिहा किया जाएगा। यदि सजायापता कैदी हैं, तो यह बन्दी की जिम्मेदारी है कि प्राप्त की गई माफी का ब्यौरा अपनी हिस्ट्री टिकट में दर्ज करवायें। ताकि बन्दी को सही समय पर जेल से रिहा किया जा सके।
2. यदि बन्दी के रिहाई पत्र और हिरासत वारंट में दी गई जानकारी में अन्तर है तो, जेल अधीक्षक द्वारा बन्दी को सम्बन्धित कोर्ट से आर्डर मिले बगैर रिहा नहीं किया जायेगा।
3. यदि रिहाई के आदेश देर रात में आते हैं तो बन्दी को अगले दिन सुबह ही रिहा किया जाएगा।

Chapter-XXI

विशेष अदालत (Petty Offences Courts):

1. जो बन्दी छोटे-मोटे जुर्म में, यदि जिनकी सजा 3 साल से कम है, पहली बार पकड़े गए हों, और जेल में 2 महीने से ज्यादा समय काट चुके हों और अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हों तो ऐसे बन्दी विशेष अदालत में अर्जी लगा सकते हैं। यह अदालत प्रत्येक जेल में लगाई जाती है यह अदालत एक महीने में एक बार लगती है।
2. इस अदालत में बैठने वाले न्यायाधीश महोदय के सामने इन बन्दियों के केस पेश किए जाते हैं और उनके अनुसार अधीक्षक महोदय, सरकारी वकील व विधिक सेवा द्वारा अधिकृत वकील को सुनने के पश्चात आदेश पारित करते हैं।
3. यदि बन्दी उपर दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो, विशेष अदालत में हाजिर होने के लिए जेल के अधीक्षक जेल को अपना नाम दे सकते हैं।

Chapter-XXII

I अनुशासन

हरियाणा राज्य की जेलों के सभी कार्यक्रम अनुशासित रूप से चलते हैं। बन्दियों को जेल के अधिकारियों का कहना मानना होगा। इसलिए दूसरे कैदियों के बहकावे में मत आये। निम्नलिखित अपराधों को "जेल अपराध" घोषित किया गया है जिनके लिए उन्हें सजा दी जा सकती है।

II जेल अपराध

1. प्रिजन एक्ट 1984 और पंजाब जेल मेनुअल में दिए गए प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन करना जेल अपराध की श्रेणी में आता है।
2. किसी पर भी हमला करना या अनुचित बल का प्रयोग करना।
3. खुद को जानबूझ कर चोट पहुँचाना।
4. किसी को भी अपमानित करना या धमकाना।
5. अश्लील, भददा, गंदा व उपद्रवी व्यवहार करना।
6. काम से बचने के लिए जानबूझ कर खुद को अयोग्य/बेकार बना लेना।
7. काम करने में ढिलाई बरतना।

8. बिना अनुमति के जेल की सलाखों, दीवारों या सरियों आदि को काटना, हटाना और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना ।
9. बामशक्कत, सजायापता कैदी का निठल्ला रहना और काम न करना ।
10. बामशक्कत, सजायपता कैदी द्वारा जानबूझ कर काम में हेरा-फेरी करना ।
11. जेल के सामान या सरकारी सम्पत्ति को जानबूझ कर नुकसान पहुँचाना ।
12. हिस्ट्री टिकट, या जेल सम्बन्धी किसी भी दस्तावेज को बिगाड़ना या उसमें बदलाव करना ।
13. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु (प्रोहिबिटेड आर्टिकल) को अपने पास रखना या दूसरे को देना ।
14. बीमार होने का नाटक करना ।
15. किसी भी अधिकारी या बन्दी के खिलाफ झूठी शिकायत करना ।
16. किसी आग की खबर, कोई षड्यंत्र या जेल से भागने की योजना या घटना, किसी बन्दी या अधिकारी पर हमला करने की साजिश जैसी किसी वारदात को छुपाना ।
17. भागने की योजना बनाना या जेल से भागने में मदद करना ।
18. किसी भी बन्दी के साथ धर्म या मजहब बदलने के लिए जबरदस्ती करना, या किसी के धर्म या मजहब को ठेस पहुँचाना ।
19. किसी भी उपद्रव, दंगे लड़ाई-झगड़े, बगावत, मार-पिट्टाई की वारदात को रोकने में जेल अधिकारी की मदद न करना, या दूसरे बन्दियों को भड़काना या मदद करने से रोकना ।
20. लिखकर, बोलकर या इशारे से चोरी छुपे संदेश देना ।
21. किसी भी दंगे, या बगावत में हिस्सा लेना, या दूसरे बन्दियों को भड़काना या मदद करने से रोकना ।
22. जेल या दूसरे बन्दियों का सामान चुराना, उसे नुकसान पहुँचाना या उसका गलत इस्तेमाल करना ।
23. खाना न खाना या भूख हड़ताल करना ।
24. जेल की बैरक या चक्की में गैरकानूनी तरीके से खाना बनाना ।
25. गैरकानूनी काम जैसे जूआ खेलना, शराब पीना, नशे वाली चीजों का सेवन करना या इस तरह के कामों का आयोजन करना या उनमें हिस्सा लेना ।
26. ऊपर दिए गए अपराधों को करने में मदद करना या बढ़ावा देना ।
27. अन्य किसी भी प्रकार का ऐसा काम करना जो कि जेल के नियमों के खिलाफ हो या गैरकानूनी हो ।

III जेल अपराधों के लिए सजा

जेल अपराधों के लिए सजा देने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास है जो कि पूरी जाँच-पड़ताल के बाद ही दी जाती है । किसी बन्दी को जेल का अनुशासन तोड़ने या कोई भी जेल अपराध करने के लिए निम्न प्रकार की सजाएँ दी जा सकती है:-

1. जेल अधीक्षक द्वारा बन्दी को एक औपचारिक चेतावनी दिया जाना, जिसका ब्यौरा बन्दी की हिस्ट्री टिकट में भी लिखा जायेगा ।
2. सुरक्षा चक्कियों में एक महीने या तीन महीने तक रखने की सजा देना ।
3. एक बार में 30 दिन तक की माफी वापस लिया जाना या महानिरीक्षक की स्वीकृति से ही माफी व्यवस्था से ही 6 महीने के लिए हटा देना ।
4. मनोरंजन की सुविधाओं पर एक महीने तक के लिए रोक लगाना, या कैन्टीन की सुविधा पर 3 महीने तक पाबंदी या मुलाकात पर एक महीने की पाबंदी लगाना ।
5. पैरोल/फरलो की शर्तों में कोई उल्लंघन होने पर बाकी पैरोल/फरलो को वापस लेना ।
6. यदि बन्दी द्वारा किया गया अपराध, स्पेशल एक्ट या आई.पी.सी. में भी जुर्म के तहत आता है तो जेल अधीक्षक उसके बारे में उस इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी लिख सकते हैं ।

Chapter-XXIII

सुझाव

1. बन्दी जेल के कायदे-कानूनों के बारे में कोई भी सुझाव दे सकते हैं । यह सुझाव, जेल अधीक्षक, उप-अधीक्षक या जेल में निरीक्षण के लिए आने वाले उच्च अधिकारियों को दें सकते हैं । यदि सुझाव अच्छा है तो उसे जेल में लागू किया जा सकता है । जेल के कर्मचारियों या अन्य बन्दियों को किसी प्रकार की सुविधा लेने के बदले या किसी अन्य सेवा के लिए या वायदा करने पर पैसा/रिश्वत (धूस) न दें यह गैर कानूनी है ।
2. जब तक जेल में रहे तब तक इस पुस्तिका में वर्णित कानून कायदों का पालन करें और प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों का सदुपयोग करें जब आप जेल से छूट कर जायें तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर जायें और समाज व देश की तरक्की के भगीदार बने और कोई ऐसी गलती या अपराध न करें जिससे आपको दोबारा जेल में आना पड़े । हरियाणा कारागार विभाग आपके सुखमय जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है ।